

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA SAGAR (M.P.)

(A CENTRAL UNIVERSITY)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

डॉ. उत्तम आनन्द (प्रभारी)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ



icsestobccell@gmail.com
www.dhsesu.ac.in
(Ph.) 07582-297105
SAGAR-470003 (M.P.) INDIA

कमांक/एस.सी.एस.टी.सेल/2025-26/63

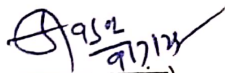
दिनांक: 09.07.2025

// सूचना //

श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला-सागर के आदेश कमांक/पीएमएस/आ0वि0/2025-26/500 दिनांक 04.07.2025 अनुसार दिनांक 09.07.2025 को आयोजित प्रशिक्षण/वैठक कार्यक्रम में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सत्र 2025-26 में प्रवेशित नवीन विद्यार्थी एवं पूर्व सत्र (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष) के अध्ययनरत (नवीन/नवीनीकरण) संबंधित समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य है।

इस कार्यालय की सूचना (1)कमांक/एस.सी.एस.टी./2025-26/45 दिनांक 16.06.2025 (2) कमांक/एस.सी.एस.टी./2025-26/50 दिनांक 25.06.2025 (3) कमांक/एस.सी.एस.टी./2025-26/57 दिनांक 03.07.2025 द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन(OTR) किये जाने के संबंध में प्रक्रिया संलग्न कर प्रेषित की गई है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की प्रक्रिया पुनः संलग्न कर प्रेषित है।

अतः विश्वविद्यालय में अध्ययनरत संबंधित वर्ग के समस्त (नवीन/नवीनीकरण) छात्र-छात्रायें दिये गये निर्देशानुसार 30 जुलाई 2025 से पूर्व नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य रूप से करायें।

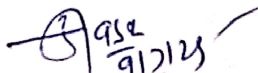

(डॉ० उत्तम आनन्द)

प्रोफेसर इंचार्ज

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, डॉ०हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,सागर (म.प्र.)-कृप्या संबंधित वर्ग के छात्र-छात्राओं को उक्त संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।
2. संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल द्वारा-संबंधित छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियों-सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलसचिवजी के निज सहायक-सूचनार्थ प्रेषित।
5. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, (कार्यालय कलेक्टर) जिला- सागर (म.प्र.)- सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल-कृप्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।


(डॉ० उत्तम आनन्द)

प्रोफेसर इंचार्ज

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की प्रक्रिया

क) प्रथम चरण :-

प्रथम चरण में विद्यार्थियों को OTR हेतु रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा जिसके लिये उनके द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जानी होगी -

1. रेफरेंस नंबर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट अथवा मोबाइल पर NSP OTR मोबाइल एप डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. भारत सरकार की NSP वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर प्रदर्शित Get your OTR के नीचे प्रदर्शित विकल्प Apply Now पर क्लिक करें।
3. विद्यार्थियों हेतु विंडो प्रदर्शित होगी जिस पर Register yourself पर क्लिक कर चाही गयी आवश्यक जानकारियां भरनी होगी।
4. उपरोक्त कार्यवाही किये जाने हेतु विद्यार्थी के पास उसका आधार नंबर और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
5. आधार से बैंक खाता DBT मोड पर लिंक होना आवश्यक है।
उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी दिये जाने के पश्चात् विद्यार्थी का रेफरेंस नंबर प्राप्त हो जाएगा जिसके आधार पर विद्यार्थी OTR की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

ख) द्वितीय चरण :-

रेफरेंस नंबर प्राप्त करने के पश्चात् वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना है। OTR फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा होना है जिसकी कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न की जाएगी --

1. सर्वप्रथम मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से NSP OTR app एवं AadharFaceRD services app डाउनलोड कर इन्स्टॉल करें।
2. NSP एप पर eKYC by FaceAuth. पर क्लिक करें।
3. विद्यार्थी का रेफरेंस नंबर डालकर Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें।
4. विद्यार्थी को उसका पर्सनल डाटा प्रदर्शित होगा जहां Proceed for face Authentication पर क्लिक करें।
5. मोबाइल का कैमरा अपने फेस के समक्ष लायें जिससे फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और आवेदक को उसका OTR नंबर प्राप्त हो जाएगा। OTR नंबर सुरक्षित रखें।
MPTAASC पोर्टल पर छात्रवृत्ति का आवेदन करते समय यह OTR नंबर दिया जाना अनिवार्य है।